संख्या-55/2015/1140/नौ-5-2015-207बजट/2013

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
कानपुर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 16 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डी/478./मु.अभि./14-15. दिनांक 06.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत नगर निगम, कानपुर को शासनादेश संख्या-8508/नौ-5-2013-141बजट/2013टीसी-1 दिनांक 11.02.2014 द्वारा सड़कों के निर्माण के हेतु प्रस्तावित कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹ 152.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में चालू कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में कुल **₹ 153.48 लाख (₹ एक करोड़ तिरपन लाख अड़तालिस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(₹ धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	**कानपुर**	नगर निगम, कानपुर	8508/नौ-5-2013-141बजट/13 टीसी-1 दिनांक 11.02.2014	305.98	152.50	153.48
			योग			**153.48**

(₹ एक करोड़ तिरपन लाख अडतालिस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, कानपुर के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को <u>दिनांक 31-03-2015</u> तक संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(4) संदर्भित शासनादेश दिनांक 11.02.2014 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**उमा शंकर सिंह**)
संयुक्त सचिव।

संख्या-55/2015/1140(1)/नौ-5-2015-207बजट/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, कानपुर।
3. जिलाधिकारी, कानपुर।
4. कोषाधिकारी, कानपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1/2)
8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(**उमा शंकर सिंह**)
संयुक्त सचिव।